

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] No. 447] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2017/ज्येष्ठ 12, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/JYAISTHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

आय-कर

सा.का.नि. 546(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 31 के उपनियम (3) में, सारणी में क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में, "31 मई" अंक और शब्द के स्थान पर "15 जून" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 42/2017, फा.सं. 370142/17/2017-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायणन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं0 का0आ0 962(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 का0आ0 1381(अ), तारीख 02.05.2017 द्वारा किया गया था।

3532 GI/2017 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2017

INCOME-TAX

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Incometax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 31, in sub-rule (3), in the Table, against serial number 1, in column 4, for the figures, letters and words "31st day of May" the following figures, letters and words "15th day of June" shall be substituted.

[Notification No. 42/2017, F.No.370142/17/2017-TPL]

LAKSHMI NARAYANAN, Under Secy. (Tax Policy And Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide notification number S.O. 962 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O. 1381 (E), dated the 02.05.2017.